आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी सुधार वाद सं0–46 / 2018

उपेन्द्र सिंह.....वादी

बनाम्

बिहार सरकार.....प्रतिवादी

आदेश

21/7/21

प्रस्तुत वाद आवेदक के द्वारा मौजा–लाभगांव में गठित जमाबंदी सं0 3073 को खंडित कराने हेतु दायर किया गया है। प्रस्तुत वाद मे प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नवत है :–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
लाभगांव	159	1484	1–10–0

आवेदक का सार रूप से कथन है कि उन्हें निबंधित हिब्बानामा दिनांक–21.08.1950 के द्वारा वंशी सिंह से अन्य खेसरा की भूमि के साथ प्रश्नगत खाता 159 खेसरा 1484 का रकवा 4–1–11 भूमि प्राप्त हुआ। जिसकी जमाबंदी सं0 94 आवेदक के नाम से गठित हुई। हिब्बानामा द्वारा प्राप्त कुल 6–14–14–5 भूमि के लिए जमाबंदी सं0 94 आवेदक के नाम से गठित चली आ रही थी। आवेदक अंकित करते हैं कि उन्होंने निबंधित केवाला दिनांक–18.06.1984 के द्वारा विपक्षी सं0 2 एवं 3 को प्रश्नगत खाता 159 खेसरा 1484 का 1–10–0 भूमि बिक्री किये। तत्पश्चात विपक्षी सं0 2 एवं 3 उक्त केवाला के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0–277 / 1985–86 दायर कर जमाबंदी सं0 94 से रकवा 1–10–0 खारिज कराकर अपने नाम से जमाबंदी कायम करावाए, जो सही है।

आवेदक आगे कथन किये हैं कि विपक्षी सं0 2 एवं 3 ने पुनः उसी केवाला दिनांक–18.06.1984 के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 789 / 2014–15 दायर कर आवेदक के जमाबंदी सं0 94 से दोबारा रकवा 1–10–0 खारिज कराकर जमाबंदी सं0 3073 गठित करवा लिये जो विधि के विरूद्ध है।

अतः आवेदक ने उपरोक्त आधारों पर जमाबंदी सं0 3073 को रद्द करने की प्रार्थना किये है। आवेदक ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है :–

1. एप्लीकेशन फॉर इन्फारमेशन दिनांक–04.06.16 द्वारा जमाबंदी सं0 94 के संबंध में दी गई सूचना की प्रति।

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई बारे में टिप्पण तारीख के साथ
1	2	3

2. हिब्बानामा दिनांक–21.03.1950 की प्रति।
3. प्रश्नगत खेसरा से संबंधित खेसरा पंजी की प्रति।
4. जमाबंदी सं0 94 के अंतर्गत निर्गत मालगुजारी रशीद की प्रति।
5. एप्लीकेशन फॉर इन्फारमेशन दिनांक–28.12.18 की प्रति।

विपक्षी सं0 2 एवं 3 इस वाद में वकालतन उपस्थित होकर अपना आपत्ति पत्र दाखिल किये जिसमें उन्होंने कथन किया है कि उन्होंने आवेदक से दिनांक–18.06.1984 को निबंधित केवाला द्वारा खाता 159 खेसरा 1484 का रकवा 1–10–0 भूमि खरीदे और अपना नामान्तरण कराकर जमाबंदी सं0 94 से रकवा 1–10–0 खारिज कराकर अपने नाम से जमाबंदी सं0 3073 गठित करवाए। विपक्षी अंकित किये है कि आवेदक द्वारा लगाया गया आरोप कि विपक्षी ने दोबारा एक ही भूमि का जमाबंदी कायम करवाया है वह गलत एवं निराधार है। अतः विपक्षी सं0 2 एवं 3 ने प्रस्तुत वाद को खारिज करने की प्रार्थना की है। विपक्षी ने अपने अभिकथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये तथा आपत्ति पत्र दाखिल करने के बाद प्रस्तुत वाद मे पैरवी बंद कर दिये तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

उभय पक्षों की सुनवाई, दलील एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराये गये साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक की जमाबंदी सं0 94 से उनके द्वारा वर्ष 1484 में बिक्री किया गया रकवा 1–10–0 का दोबारा रकवा खारिज हुआ है। विशेष कर उनके तरफ से साक्ष्य स्वरूप सूचना अधिकार के तहत सूचना सं0 139/10.06.16 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रथम बार दाखिल खारिज वाद सं0 277/1985–86 में रकवा 1–10–0 घटाया गया और पुनः दाखिल खारिज वाद सं0 789/2014–15 में भी वही रकवा 1–10–0 घटाया गया है और उसी जमाबंदी सं0 94 से घटाया गया जो कि खेसरा सं0 1484 के क्रेता के वंशजों के आपसी बंटवारा से उद्भूत होने वाली जमाबंदी के लिए था। अब यहाँ दुविधापूर्ण स्थिति यह है कि प्रथम दाखिल खारिज वाद 277/1985–86 से गठित होने वाली जमाबंदी का ब्यौरा जिसमें से दूसरी जमाबंदी का रकवा घटाया जाना चाहिए था अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। यह संभव है कि हल्का कर्मचारी के द्वारा उक्त विवरण का अंकन किया जाना छूट गया है।

अतः वर्णित परिस्थिति में अंचल अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि जमाबंदी सं0 94 से प्रथम बार दाखिल खारिज वाद सं0 277/1985–86 से सृजित होने वाली जमाबंदी का रकवा 1–10–0 शून्य

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

करते हुए अर्थात् खारिज करते हुए दाखिल खारिज वाद 789/2014–15 से गठित होने वाली जमाबंदी में आमद करें। साथ ही दूसरे दाखिल खारिज वाद 789/14–15 के लिए जमाबंदी सं0 94 से दूसरी बार घटाया गया रकवा को पुनः आमद करें। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी को अनुपालनार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

21/7/21

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

डी०वी० नं० 470 / दिनांक 28/8/21

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं आपका दाखिल खारिज वाद सं० 789/14-15 मूल अभिलेख संलग्नकर उपरोक्त आदेश का अनुपालनार्थ।

प्रतिलिपि:- NIC खगड़िया वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया।